न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 22/2022

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
सुरेश पुत्र मांगीलाल निवासी ग्राम चक भैंसका ग्रा.पं. हाथीसिंह का गांव पं.स. शिव जिला बाड़मेर		पुरखाराम पुत्र बालूराम जाति माली निवासी चक भैंसका, तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 1 दिनांक 01.12.2021 जो ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।
2. श्री स्वरूपसिंह भदरू, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से जनसुनवाई दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य पट्टे की जांच कर निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव की ओर से अप्रार्थी पुरखाराम पुत्र बालूराम निवासी चक भैंसका, तहसील शिव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या क्रमशः 01 दिनांक 01.12.2021 के विरूद्ध स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज किया गया हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मौजा हाथीसिंह का गांव की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 456/167 में पट्टा संख्या 01 दिनांक 01.12.2021 जारी किया गया। ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वा[illegible] पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिक[illegible] मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवै[illegible] एवं अपूर्णता के प[illegible] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की [illegible]रा 97 के तहत जां[illegible] हुए अपास्त करने हेतु यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकरण स्वतः संज्ञान से दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि मौजा हाथीसिंह का गांव की आबादी भूमि में मेरा पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जा सुदा आवासीय मकान संख्या 342 आया हुआ है। उक्त कच्चा मकान वर्ष 2006 की बाढ़ मे ध्वस्त हो गया था। उक्त प्लांट में अप्रार्थी द्वारा षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके पट्टा जारी करवा दिया है। उक्त प्लांट पर हमारा पीड़ियों से मालिकाना अधिकार है। मेरे प्लांट को हड़पने के उद्वेश्य से फर्जीवाड़ा करके पट्टा जारी किये गये है। इस आधार पर बिना कब्जा के अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा 01 दिनांक 01.12.2021 निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम हाथीसिंह का गांव की आबादी भूमि में अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड आये हुए है। ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में में पट्टा 01 दिनांक 01.12.2021 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से जारी पट्टे ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति व मौतबिरान के समक्ष किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नहीं होने से यह पट्टा जारी किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं यह निगरानी प्रकरण सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाई जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि मौजा हाथीसिंह का गांव की आबादी भूमि में मेरा पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जा सुदा आवासीय मकान संख्या 342 आया हुआ है। उक्त कच्चा मकान वर्ष 2006 की बाढ़ मे ध्वस्त हो गया था। उक्त प्लांट में अप्रार्थी द्वारा षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके पट्टा जारी करवा दिया है। उक्त प्लांट पर हमारा पीड़ियों से मालिकाना अधिकार है। मेरे प्लांट को हड़पने के उद्वेश्य से फर्जीवाड़ा करके पट्टा जारी किये गये है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम हाथीसिंह का गांव की आबादी भूमि में अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड आये हुए है। ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में में पट्टा 01 दिनांक 01.12.2021 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से जारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति व मौतबिरान के समक्ष किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नहीं होने से यह पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से निगरानीअधीन पट्टा जारी करने में विधिवत रूप से प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता हैं, जहां प्रार्थी का इस भूखण्ड पर अपना कब्जा–मालिकाना अधिकार हैं तो वह इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वंतंत्र हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 01 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:57 IST
Reason: SelfAttested